

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/46/2019/एफ.सी./907

दिनांक: 29/07/2019

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

**विषय : Diversion of 3.0506 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Charwadhar to Gram Gouncha road (Kms 0/0 to 4/00), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, District Shimla, H.P. (online no. FP/HP/Road/26257/2017)**


संदर्भ: नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एफ.टी. 48-3600/2017 (एफ.सी.ए) दिनांक 29.06.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के ई.डी.एस. दिनांक 15.04.2019 का जो प्रतिउत्तर दिया गया है वह मान्य योग्य नहीं है। के०एम०एल० फाईल / Digital map पर अंकित बिन्दु क्र० 'DPF Chanjar' (30°56'17.886°N, 77°40'36.408°E) के आगे वन क्षेत्र में बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः राज्य सरकार तदनुसार प्रस्ताव में संशोधन कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यदि चाही गयी सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों (अधिकतम 90 दिनों ) के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(डा० योगेश गोशला)  
तकनीकी अधिकारी